<u>एक्सपोजर प्रारूप</u>

<u>Exposure Draft</u>

दिनांक / Date: 14-11-2023

संदर्भ सं.: 446.1/8/ईओएम-पीए/एफ&ए - जीवन/2023-24
Ref. No.: 446.1/8/EoM-PA/F&A - Life/2023-24

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कमीशन सहित, बीमाकर्ताओं के प्रबंधन व्यय) विनियम, 2023

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Expenses of Management, including Commission of Insurers) Regulations, 2023

आईआरडीएआई ने 29 जुलाई, 2022 के अपने आदेश के द्वारा परिषदों को निदेश दिया कि वे विनियमों को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सिद्धांत-आधारित व्यवस्था की दिशा में अग्रसर होते हुए व्यवसाय करने की सुगमता में वृद्धि करने और विनियमों को सरल बनाने के प्रयोजन के लिए सभी हितधारक समूहों के प्रतिनिधियों से युक्त एक विनियम समीक्षा समिति (आरआरसी) गठित करें। इसके अलावा, विभिन्न हितधारकों से प्रतिनिधियों को लेते हुए नौ उप-समूह बनाये गये। अतिरिक्त रूप से, जहाँ भी विशिष्ट क्षेत्र की विशेषज्ञता आवश्यक समझी गई हो, वहाँ कुछ उप-समूहों में उद्योग के कार्यकारियों को आमंत्रित किया गया।

The IRDAI vide its order dated 29 July, 2022 directed the Councils to constitute a Regulation Review Committee (RRC) comprising representatives from all stakeholder groups for the purpose of enhancing ease of doing business and simplifying regulations by moving towards principles-based regime with a view to making them more effective. Further, nine sub-groups drawing representations from various stakeholders were formed. Additionally, industry executives were invited to some of the sub-groups wherever the need for specific domain expertise was deemed necessary.

उक्त आरआरसी ने निम्नलिखित विनियमों को निरस्त करने के बाद आईआरडीएआई (कमीशन सहित, बीमाकर्ताओं के प्रबंधन व्यय) विनियम, 2023 की सिफारिश की:

The RRC recommended IRDAI (Expenses of Management, including commission, of insurers) Regulations, 2023 after repealing the following regulations:

1. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (साधारण अथवा स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं के प्रबंधन व्यय) विनियम, 2023;

   Insurance Regulatory and Development Authority of India (Expenses of Management of Insurers transacting General or Health Insurance Business) Regulations, 2023;

2. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं के प्रबंधन व्यय) विनियम, 2023 तथा

   Insurance Regulatory and Development Authority of India (Expenses of Management of Insurers transacting Life Insurance Business) Regulations, 2023 and

3. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कमीशन का भुगतान) विनियम, 2023
   Insurance Regulatory and Development Authority of India (Payment of Commission) Regulations, 2023.

आईआरडीएआई द्वारा उक्त आरआरसी की सिफारिशों पर विचार करने के उपरांत तथा पालिसीधारकों के हितों को भी ध्यान में रखते हुए आईआरडीएआई (कमीशन सहित, बीमाकर्ताओं के प्रबंधन व्यय) विनियम, 2023 का प्रारूप तैयार किया गया है और इसके साथ संलग्न किया गया है।
IRDAI after considering the recommendations of the RRC and also keeping the interest of the policyholders, the draft on IRDAI (Expenses of Management, including commission, of insurers) regulations, 2023 is prepared and annexed herewith.

प्रस्तावित उक्त विनियमों के प्रारूप का मुख्य उद्देश्य पालिसीधारकों को मिलनेवाले लाभों में वृद्धि करने हेतु अपने संसाधनों का इष्टतम रूप में उपयोग करने के लिए प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट समग्र सीमाओं के अंदर कमीशनों सहित अपने व्ययों का प्रबंधन करने के लिए बीमाकर्ताओं को समर्थ बनाना और उन्हें लचीलापन प्रदान करना एवं बीमा व्यापन में सुधार लाना है।
The main objective of the proposed draft regulations is to enable and provide flexibility to the insurers to manage their expenses, including commissions, within the overall limits as specified by the Authority to optimally utilize their resources for enhancing benefits to policyholders and to improve insurance penetration.

सभी हितधारकों से अनुरोध है कि वे प्रस्तावित विनियमों (अनुबंध-क) पर अपनी टिप्पणियाँ / सुझाव, यदि कोई हों, 06 दिसंबर 2023 को अपराह्न 5.00 बजे अथवा उससे पहले संलग्न फार्मेट (अनुबंध-ख) में finance.life@irdai.gov.in को प्रेषित करें और उनकी एक प्रति indradeep.s@irdai.gov.in को भी भेजें।
All the stakeholders are requested to forward their comments / suggestions, if any, on the proposed regulations (Annexure-A) in the attached format (Annexure- B) on or before 5:00 PM on 06 December, 2023 to finance.life@irdai.gov.in with a copy to indradeep.s@irdai.gov.in.

****